

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1480
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पश्चिम बंगाल में किसानों के कल्याण के लिए योजना

1480. श्री राजू बिष्ट:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) किसानों के कल्याण के लिए विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में कार्यान्वित योजनाओं का व्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत किसानों को प्रदान की गई कुल राजसहायता राशि कितनी है; और
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए किसानों के योजनावार आकड़े क्या हैं, तथा इन जिलों में कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): भारत सरकार पश्चिम बंगाल सहित देश भर में किसानों के कल्याण के लिए केंद्रीय क्षेत्र के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत रेंज का कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय समर्थन, इनफ्रास्ट्रक्चर, होर्टीकल्चर सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि सहित कृषि का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है।

ऐसी योजनाओं की सूची अनुबंध I में देखी जा सकती है। पश्चिम बंगाल के संबंध में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में जारी निधियों का विवरण अनुबंध II में दिया गया है।

कृषि राज्य का विषय है, इन योजनाओं के अंतर्गत दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और दक्षिण दीनाजपुर जिलों सहित कुल लाभार्थियों की संख्या का जिलेवार व्यौरा राज्य सरकार द्वारा रखा जाता है। हालांकि, केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाओं, अर्थात् पीएम-किसान योजना और कृषि इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और दक्षिण दीनाजपुर को लाभार्थियों की संख्या और वितरित कुल राशि अनुबंध III में दी गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं

क्रम सं.	योजना का नाम
I.	केन्द्रीय क्षेत्रक योजना 1 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) 2 प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 3 प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) 4 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) 5 संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) 6 राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) 7 कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) 8 10,000 नए एफपीओ का गठन एवं संवर्धन 9 स्टार्ट अप और ग्रामीण उद्यमों (एग्री एसयूआरई) के लिए कृषि निधि 10 नमो ड्रोन दीदी
II.	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (i) प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) (ii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 11. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आधारित योजनाएं (आरकेवीवाई-डीपीआर) 12. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ) 13. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) 14. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) 14(क) सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) 15. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) 16. कृषि मशीनीकरण सब-मिशन (एसएमएएम) 16(क) फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) 17. एग्रो-फॉरस्ट्री 18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
	(iii). कृषोन्नति योजना 19. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) 19(क) बीज एवं रोपण सामग्री सब-मिशन (एसएमएसपी) 20. राष्ट्रीय खाद्य ऑयल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल सीड़िस 21. राष्ट्रीय खाद्य ऑयल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम 22. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) 22(क) राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) 23. कृषि विपणन समेकित योजना (आईएसएएम) 24. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन 25. कृषि विस्तार सब-मिशन (एसएमएरई) 26. डिजिटल कृषि

पश्चिम बंगाल के संबंध में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में जारी की गई निधि का ब्यौरा									
क्रम सं.	राज्य का नाम	(रुपए करोड़ में)							
(क)	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25			
(i)	पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई)								
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-डीपीआर	170.17	92.75	170.85	165.71	102.98			
2	प्रति बूद्ध अधिक फसल	61.00	0.00	0.00	30.00	29.46			
3	सॉइल हेल्थ एंड फर्टीलिटी	0.00	0.00	0.00	9.96	8.49			
4	कृषि मशीनीकरण सब-मिशन	6.93	2.60	6.63	20.00	37.50			
5	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास	7.00	3.50	6.88	10.48	11.25			
6	परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	0.00	5.55	17.17	11.21			
7	एग्रोफॉरस्ट्री	-	-	-	1.00	0.25			
कुल (आरकेवीवाई)		245.10	98.85	189.91	254.32	201.14			
(ii)	कृषोन्नति योजना (केवाई)								
8	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	63.87	42.83	41.56	64.25	60.63			
9	खाद्य ऑयल - ऑयल सीड पर राष्ट्रीय मिशन	27.45	6.38	19.07	36.25	19.93			
10	कृषि विस्तार सब-मिशन	48.64	25.00	42.00	41.52	36.00			
11	समेकित बागवानी विकास मिशन	10.00	0.00	17.25	11.00	15.40			
कुल (केवाई)		149.96	74.21	119.88	153.02	131.96			
(ख)	केंद्रीय क्षेत्रक योजना								
12	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	प्रारंभ से अब तक 19 किस्तों के जरिए 11,419.85 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं							
13	प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)	प्रारंभ से अब तक 8324 किसानों को नामांकित किया गया है।							
14	कृषि एन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)	दिनांक 03.07.2025 तक, एआईएफ के तहत 6033 परियोजनाओं के लिए 2565 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 4121 करोड़ रुपए है।							
15	वर्ष 2016-2017 से 2023-24 तक, 57.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बीमित- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)	138.2 लाख किसान आवेदन बीमित		किसानों को 1268.00 करोड़ रुपए का दावा भुगतान					
16	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)	एनबीएचएम के तहत पश्चिम बंगाल को 1902.09 लाख रुपए की कुल 19 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।							
17	किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)	383 आवंटित और पंजीकृत							

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और दक्षिण दीनाजपुर में लाभार्थियों की कुल संख्या और वितरित कुल राशि निम्नानुसार है:-

जिला	19वीं किस्त के अनुसार लाभार्थियों की संख्या	विगत पांच वर्षों में वितरित राशि (रुपए करोड़ में)
दार्जिलिंग	11,314	29.07
कलिम्पोंग	5,828	16.16
दक्षिण दीनाजपुर	1,27,549	318.97

कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)

दिनांक 30 जून 2025 तक पश्चिम बंगाल राज्य में किसानों को स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या

(रुपए करोड़ में)

जिला	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
दार्जिलिंग	8	0.27
कलिम्पोंग	8	0.02
दक्षिण दीनाजपुर	57	8
